



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2015/पौष 16, 1936

No. 9]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2015/PAUSHA 16, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2014

सं. ए.12(11)1/2009-चि.-IV.— कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2क) तथा उप-धारा (2) के खंड (xxi) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दंत्य शिक्षण संकाय पद) भर्ती विनियम, 2009, दिनांक 17 अप्रैल, 2009 के अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा **कर्मचारी राज्य बीमा निगम दंत्य महाविद्यालयों** के लिए दंत्य शिक्षण संकाय पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम दंत्य शिक्षण संकाय पद भर्ती विनियम, 2014 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. **अनुप्रयोज्यता** : ये विनियम इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 12 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. **चयन बोर्ड का गठन** : (1) चयन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :-
(क) भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव स्तर का अंशकालिक अध्यक्ष या जिस व्यक्ति ने भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव का पद धारित किया हो जिसे सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।
(ख) की जाने वाली भर्ती की शाखा या विशेषज्ञता क्षेत्र के दो दंत्य विशेषज्ञ, जिन्हें महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल में से, चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा।
(ग) नई दिल्ली में चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभागीय विशेषज्ञ होगा तथा अन्य राज्यों के मामलों में संबंधित राज्य के वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त अथवा राज्य चिकित्सा आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि होंगे। परंतु किसी कारणवश इन अधिकारियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में महानिदेशक विभागीय विशेषज्ञ के रूप में किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है।
(2) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः चयन बोर्ड के गठन की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। तथापि, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा उनकी पदावधि कम की अथवा बढ़ाई जा सकती है।

- (3) अंशकालिक अध्यक्ष और चिकित्सा या दंत्य विशेषज्ञ, केंद्र सरकार द्वारा विहित दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा यथा नियत दरों पर यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे।

(6) चयन की प्रक्रिया तथा रीति :

- (1) उक्त अनुसूची में शामिल इन पदों पर सीधी भर्ती सामान्यतः चयन बोर्ड द्वारा पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी।

परन्तु यदि भर्ती हेतु भिन्न रीति अंगीकृत करनी आवश्यक हो जाती है तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात महानिदेशक इसे अंगीकृत कर सकेंगे और तथापि, भर्ती की रीति विज्ञापन में अधिसूचित कर दी जाने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

- (2) आयु, अर्हता, अनुभव आदि की विहित अपेक्षाएं पूरा करने मात्र से ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने अथवा विज्ञापित पद पर किसी प्रकार के दावे का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा।

- (3) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवेदनों के प्रक्रमण संबंधी समस्त कार्य महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

- (4) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहायता, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

7. निरर्हता : ऐसा कोई व्यक्ति :-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

8. **शिथिल करने की शक्ति :** जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केन्द्र सरकार के परामर्श से किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
9. **अपवाद :** इन विनियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु-सीमा में शिथिलता और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।
10. **व्याख्या :** यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो केन्द्र सरकार के परामर्श से उसका निर्णय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित वेतन बैंड	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. दंत्य महाविद्यालय का प्रधानाचार्य/संकाय अध्यक्ष	10*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन।	समूह 'क' अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	10,000/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4, 37,000-67,000/- रु. और प्रैक्टिसबंदी भत्ता	लागू नहीं	55 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार क.रा. बी. निगम के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	अनिवार्य— क) दंत-चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग 1 अथवा भाग 2 में समाविष्ट अर्हता; ख) भारतीय दंत परिषद् के साथ पंजीकृत हो और; (ii) स्नातकोत्तर अर्हता अर्थात् दंत शल्य चिकित्सा निष्णात अथवा इसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता। अनुभव : दंत शल्य चिकित्सा निष्णात की अर्हता डिग्री अथवा इसके समतुल्य अर्हता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में चौदह वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से आचार्य के रूप में किसी मान्यताप्राप्त दंत्य महाविद्यालय में न्यूनतम पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव।

					भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।	टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की संभावना है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 3 : यह अनुभव, भारतीय दंत्य परिषद् अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा शिक्षण पदों के लिए विधिमान्य शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यताप्राप्त हो तथा उसका प्रमाणपत्र या उसके समर्थन में अन्य कोई मान्य प्रमाण और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है।
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति — सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष (सीधी भर्ती वालों के लिए)	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति या अल्पावधि संविदा द्वारा (प्रतिनियुक्ति या अल्पावधि संविदा के मामले में अभ्यर्थी को स्तंभ 7 में परिगणित अनिवार्य अर्हताएं पूरी करनी होंगी।	<u>प्रतिनियुक्ति</u> केन्द्रीय या राज्य सरकार सेवा या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के अधीन अधिकारी : (i) सदृश पदधारी अथवा (ii) ग्रेड वेतन 8700/— रुपये के साथ वेतन बैंड-4 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में सात वर्ष का अनुभव रखने वाले आचार्य । टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति 1. सचिव 2. अपर सचिव, 3. महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय —सदस्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	लागू नहीं

			टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6
2	निदेशक आचार्य 06*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन।	समूह 'क' अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	10,000 /— रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड—4, 37,400—67,000 /— रु. और प्रेक्टिसबंदी भत्ता	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12	13
पदोन्नति द्वारा 8,700 /— रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड—4, 37,400—67,000 /— रुपये में *सात वर्ष की नियमित सेवा वाले आचार्य (*चिकित्सा प्रमाण—पत्र पर अन्य कारणों से तथा अध्ययन प्रयोजन से ली गई असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में शामिल नहीं होगी) टिप्पणी 1 : पदोन्नति हेतु अधिकारियों की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा को पूर्ण करने की तिथि और पदोन्नति हेतु विचार करने से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण के संतोषजनक पूरा किए जाने के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते इनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी 3 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के प्रयोजनार्थ, 01 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकार सेवा या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के अंतर्गत अधिकारी : (i) सदृश पदधारी अथवा (ii) 8,700 /— रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड—4 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में सात वर्ष का अनुभव रखने वाले आचार्य टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	पदोन्नति पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति : 1. सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय (भारत सरकार) —अध्यक्ष 2. अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
3. आचार्य	50*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन।	समूह 'क' अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	8,700/— रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड—4, 37,400—67,000/— रु. और प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार करा.बी. निगम के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।	अनिवार्य— किसी भारतीय विश्वविद्यालय से दंत-शल्य चिकित्सा स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर अर्हता के साथ कोई समकक्ष अर्हता अथवा विषय में नेशनल बोर्ड से डिप्लोमेट तथा रीडर अथवा सह-आचार्य के रूप में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की संभावना है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं या हैं। टिप्पणी 3 : यह अर्हता तथा अनुभव, भारतीय दंत्य परिषद् अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा शिक्षण पदों के लिए विधिमानीय शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यताप्राप्त हो तथा उसका प्रमाणपत्र या उसके समर्थन में अन्य कोई मान्य प्रमाण और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

8	9	10	11	12	13
आयु : जी नहीं, शैक्षिक अर्हता : जी हाँ	एक वर्ष (केवल सीधी भर्ती वालों के लिए)	पदोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत तथा सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत; दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा या अल्पावधि संविदा द्वारा।	पदोन्नति द्वारा 7,600/— रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड—3, 15600—39100/— रुपये में *पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले सह आचार्य भारतीय दंत्य परिषद् के मानकों को पूरा करने एवं पदोन्नति के लिए विचार करने से पहले अनिवार्य प्रशिक्षण के संतोषप्रद समापन के शर्ताधीन। (*चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अन्य कारणों से तथा अध्ययन प्रयोजन से ली गई असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में शामिल नहीं होगी) टिप्पणी 1 : पदोन्नति हेतु अधिकारियों की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा को पूर्ण करने की तिथि और पदोन्नति हेतु विचार करने से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण के संतोषजनक पूरा किए जाने के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते इनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी 3 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के प्रयोजनार्थ, 01 जनवरी 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढाँचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी	विभागीय पदोन्नति समिति (समूह—क विभा.पदो.समि.) 1. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष 2. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य 3. संकाय अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान या चिकित्सा महाविद्यालय या दंत्य महाविद्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	लागू नहीं

			उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकार सेवा या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के अधीन अधिकारी : (i) सदृश पदधारी अथवा स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव धारक। अथवा (ii) ग्रेड वेतन 7,600/— रुपये के साथ, वेतन बैंड-3 में 15,600—39,100/— में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले सह आचार्य। टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, इसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
4. सह-आचार्य	110* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन।	समूह 'क' अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	7,600/— रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3, 15,600—39,100/— रु. और प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार क. रा.बी. निगम के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।	अनिवार्य— किसी भारतीय विश्वविद्यालय से दंत-शल्य चिकित्सा स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर योग्यता के साथ कोई समकक्ष योग्यता अथवा विषय में नेशनल बोर्ड से डिप्लोमेट तथा परा-स्नातक के बाद सहायक आचार्य के रूप में चार वर्ष का शिक्षण अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की संभावना है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 3 : यह अर्हता तथा अनुभव, भारतीय दंत्य परिषद् अथवा चिकित्सा पद्धति से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा शिक्षण पदों के लिए विधिमान्य शिक्षण अनुभव के रूप में मान्यताप्राप्त हो तथा उसका प्रमाणपत्र या उसके समर्थन में अन्य कोई मान्य प्रमाण और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

8	9	10	11	12	13
आयु : जी नहीं, शैक्षिक अर्हता जी हाँ	एक वर्ष (केवल सीधी भर्ती वालों के लिए)	पदोन्नति द्वारा शतप्रतिशत, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन या अल्पावधि संविदा द्वारा	पदोन्नति द्वारा 6,600/— रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, 15600-39100/— रुपये में *चार वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक आचार्य भारतीय दंत्य परिषद् के मानकों को पूरा करने एवं पदोन्नति के लिए विचार करने से पहले अनिवार्य प्रशिक्षण के संतोषप्रद समापन के शर्ताधीन। (*चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अन्य कारणों से तथा अध्ययन प्रयोजन से ली गई असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा में शामिल नहीं होगी) टिप्पणी 1 : पदोन्नति हेतु अधिकारियों की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा को पूर्ण करने की तिथि और पदोन्नति हेतु विचार करने से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण के संतोषजनक पूरा किए जाने के संदर्भ में तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2 : जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते इनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी 3 : पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के प्रयोजनार्थ, 01 जनवरी 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढाँचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूपी ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकार सेवा या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधीन अधिकारी : (i) सदृश पदधारी अथवा स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव धारक। अथवा (ii) 6,600/— रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में 15,600-39,100/— में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में चार वर्ष का अनुभव रखने वाले सहायक आचार्य। टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, इसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढाँचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूपी ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-क विभा.पदो.समि.) 1. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष 2. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य 3. संकाय अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान या चिकित्सा महाविद्यालय या दंत्य महाविद्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
5. सहायक आचार्य	90* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन।	समूह 'क' अलिपिकवर्गीय, अराजपत्रित	6,600/—रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड—3, 15,600—39,100/—रु और प्रैक्टिसबंदी भत्ता (केवल चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए)	लागू नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार क.रा.बी. निगम के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।	अनिवार्य : किसी भारतीय विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त दंत शल्य चिकित्सा निष्णात डिग्री अथवा राष्ट्रीय बोर्ड से डिप्लोमेट अथवा समकक्ष अर्हता। टिप्पणी : अर्हता, भारतीय दंत्य परिषद् अथवा शिक्षण के प्रयोजनार्थ विधिमाम्य के रूप में संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा मान्यताप्राप्त हो।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष (केवल सीधी भर्ती वालों के लिए)	सीधी भर्ती द्वारा शतप्रतिशत, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/आमेलन द्वारा या संविदा के माध्यम से	प्रतिनियुक्ति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार सेवा या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधीन सदृश पदधारी तथा वही अर्हताएं और अनुभव रखता हो जो स्तंभ 7 में वर्णित सीधी भर्ती के लिए हैं। टिप्पणी 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति में तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य पद पर धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 अथवा जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर परिशोधित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुसूची ग्रेड वेतन या विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां एक से अधिक परिशोधन पूर्व वेतनमान को समान ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति 1. चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष 2. संकाय अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान या चिकित्सा महाविद्यालय या दंत्य महाविद्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य 3. उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	लागू नहीं

ए. के. अग्रवाल, महानिदेशक
[विज्ञापन III/4/असा./94/14]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(Employees' State Insurance Corporation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2014

No. A.12 (11)/1/2009-Med.-IV—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said Section and sub-section (3) of Section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Dental Teaching Faculty posts) Recruitment Regulations, 2009 dated the 17th April, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the Dental Teaching Faculty posts in the **Employees' State Insurance Corporation Dental Colleges**, namely: –

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation **Dental Teaching Faculty** posts, Recruitment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These regulations shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 12 of the said Schedule.

5. Composition of Selection Board.—(1) The Selection Board shall consist of—

- (a) a part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India or a person who had held the post of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by the Secretary, Ministry of Labour and Employment or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation;
- (b) two Dental experts from the discipline or specialised field for which recruitment is to be made, who may be chosen by the Chairman Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- (c) the Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation shall be the departmental expert in New Delhi and in case of other States, the Senior State Medical Commissioner or State Medical Commissioner of the respective States shall be the departmental representative :

Provided that the Director General may nominate some other officer as the departmental expert, in case the said officers are not available due to some reasons.

- (2) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board and his term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.
- (3) The part-time Chairman and the Medical or Dental Experts shall be entitled to travelling allowances, sitting fees, etc. at such rates as may be fixed by the Director General from time to time, keeping in view the rates prescribed by the Central Government.

(6) Procedure and manner of Selection.—

- (1) The direct recruitment to the posts included in the said Schedule shall ordinarily be made on the basis of an interview of eligible candidates by the Selection Board:

Provided that in case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the Director General may adopt the same after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, and however, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.

- (2) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience, etc. shall not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.
- (3) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board shall be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

- (4) The Selection Board shall be provided necessary secretarial assistance by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation .

7. Disqualification.—No person.—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 8. Power to relax.**—Where the Director General of the Employees State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 9. Savings.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 10 Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Employees State Insurance Corporation in consultation with the Central Government.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band with Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1.Principal/Dean of Dental College	10*(2014) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A' non ministerial Non-Gazetted	Pay Band-4 Rs.37000-67000 with grade pay of Rs. 10,000 plus non-practicing allowance	Not applicable	Not exceeding 55 years (relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential- i) A qualification included in Part-I or Part-II of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948); (b) should be registered with Dental Council of India and; ii) a post graduate qualification i.e. Master of Dental Surgery or a recognized qualification equivalent thereto. Experience- Fourteen years of teaching experience in recognized Institution, in the subject of specialty after obtaining the qualifying degree of Master of Dental Surgery or qualification equivalent thereto, out of which minimum of five years teaching experience as a Professor in a recognized Dental College. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Director General, Employees' State Insurance Corporation in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Director General, Employees' State Insurance Corporation in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and if at any stage of selection, the Director General, Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill of the vacancies reserved for them. Note 3: The experience should be recognized by the Dental Council of India or the statutory body concerned with the system of medicine as valid teaching experience for teaching posts and

						certificate thereof or any other valid proof in support thereof should be submitted and a certificate to this effect is to be submitted.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	One year (for direct recruits)	By Direct Recruitment, failing which by deputation or short-term contract. (In case of deputation or short-term contract candidate has to fulfill the essential qualifications as enumerated in column 7.	Deputation: Officers under Central or State Government service or Public Sector Undertaking: (i) holding analogous posts or (ii) professors in pay band 4 with grade pay of Rs.8700 with seven years of experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. Note2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note3: The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Departmental Promotion Committee for considering confirmation : 1. Secretary, Ministry of Labour and Employment Government of India - Chairman 2. Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment - Member 3. Director General, Employees' State Insurance Corporation - Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Director Professor	06* (2014) *subject to variation depending on work load.	Group 'A' non ministerial Non-Gazetted	Pay Band-4 Rs.37400-67000 with grade pay of Rs 10,000 plus non practicing allowance	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

11	12	13
By Promotion Professor with *seven years regular service in pay band-4 Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8700 (*Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service). Note 1 : The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade and satisfactory completion of mandatory training before consideration for promotion. Note2 : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation: Officers under Central or State Government service or Public Sector Undertaking: (i) holding analogous post; or (ii) professors in pay band -4 with grade pay of Rs.8700 with seven years of experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. Note2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note3 : The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note 4 : For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Departmental Promotion Committee for considering promotion: 1. Secretary, Ministry of Labour and Employment (Government of India) -Chairman 2. Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment -Member 3. Director General, Employees' State Insurance Corporation -Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
3. Professor	50* (2014) *subject to variation depending on work load.	Group 'A' Non-ministerial Non-Gazetted	Pay Band-4 Rs.37400-67000 with grade pay of Rs. 8700 plus non practicing allowance	Selection	Not exceeding 50 years (relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: A Bachelor of Dental Surgery Degree of an Indian University or an equivalent qualification with Post Graduate Qualification or Diplomate of National Board in the subject and five years teaching experience as Reader or Associate professor. Note 1 : Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of Director General, Employees' State Insurance Corporation in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Director General, Employees' State Insurance Corporation in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and if at any stage of selection, the Director General, Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them. Note 3 : The qualification and experience should be recognized by the Dental Council of India or the Statutory body

						concerned with the system of medicine as valid teaching experience for teaching posts and certificate thereof or any other valid proof in support thereof should be submitted and a certificate to this effect is to be submitted.
--	--	--	--	--	--	--

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualification: Yes	One year (for direct recruits only)	Fifty percent by promotion and fifty percent by direct recruitment; failing both by deputation or absorption or by short-term contract.	By Promotion.- Associate Professor with *five years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600 subject to satisfaction of Dental Council of India Norms and satisfactory completion of mandatory training before consideration for promotion. (*Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service). Note 1 : The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade and satisfactory completion of mandatory training before consideration for promotion. Note 2 : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation.- Officers under the Central or State Government service or Public Sector Undertaking: (i) holding analogous posts and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. OR (ii) Associate Professors in pay band-3 with grade pay of Rs. 7600/- with five years experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed three years. Note 2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note 4 : For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended,	Departmental promotion Committee (GROUP-A DPC) 1. Director General-, Employees' State Insurance Corporation: -Chairman 2. Medical Commissioner Employees' State Insurance Corporation : -Member 3. Dean, Employees' State Insurance Corporation Post Graduate Institute of Medical Sciences and research or Medical College or Dental College, Employees' State Insurance Corporation or Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member	Not applicable

			shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
4. Associate Professor	110* (2014) *subject to variation depending on work load.	Group 'A' Non-ministerial Non-Gazetted	Pay Band-3 Rs.15600-39100 with grade pay of Rs 7600 plus non practicing allowance	Selection	Not exceeding 50 years (relaxable upto five years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: A Bachelor of Dental Surgery Degree of an Indian University or an equivalent qualification with Post Graduate Qualification or Diplomate of National Board in the subject and four years teaching experience after post graduation as Assistant Professor. Note 1: Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of Director General, Employees' State Insurance Corporation in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Director General, Employees' State Insurance Corporation in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Director General, Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be avail able to fill of the vacancies reserved for them. Note 3: The qualification and experience should be recognized by the Dental Council of India or the Statutory body concerned with the system of medicine as valid teaching experience for teaching posts and certificate thereof or any other valid proof in support thereof should be submitted and a certificate to this effect is to be submitted.

8	9	10	11	12	13
Age:No Educational Qualification: Yes	One year (for direct recruits only)	Hundred percent by promotion failing which by direct recruitment failing both by deputation or absorption or by short-term contract.	By Promotion Assistant Professor with *four years regular service in pay band-3 Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.6600 subject to satisfaction of Dental Council of India Norms and satisfactory completion of mandatory training before consideration for promotion. (*Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service). Note 1 : The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade and satisfactory completion of mandatory training before consideration for promotion. Note 2 : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or	Departmental Promotion Committee (GROUP-A DPC) 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation -Chairman 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member 3. Dean, Employees' State Insurance Corporation Post Graduate Institute of Medical Sciences and research or Medical College or Dental College, Employees' State Insurance Corporation or Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation --Member	Not applicable

			two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Deputation: Officers under the Central or State Government service or Public Sector Undertaking: (i) holding analogous posts and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. OR (ii) Assistant Professors in pay band-3 Rs.15600-39100 with grade pay Rs.6600 with four years experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. Note 2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note 4 : For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Assistant Professor	90* (2014) *subject to variation depending	Group 'A' non-ministerial Non-Gazetted	Pay Band-3 Rs.15600-39100 with grade pay Rs. 6600 plus non practicing	Not applicable	Not exceeding 50 years (relaxable upto five years for employees of the State	Essential: A recognized Master of Dental Surgery Degree of an Indian University or Diplomat of National	Not applicable	One year (for direct recruits only)

	on Work-load.		allowance (for medical candidates only)		Insurance Corporation and Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Board or an equivalent qualification. Note : The qualification should be recognized by the Dental Council of India or Statutory Body concerned as valid for teaching purpose.		
--	---------------	--	---	--	--	---	--	--

10	11	12	13
Hundred percent by direct recruitment failing which by transfer on deputation/absorption or through contract.	Deputation: Officers under the Central Government or State Government service or Public Sector Undertaking holding analogous posts and possessing same qualifications and experience as for direct recruitment as enumerated in column 7. Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. Note2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation or absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Departmental Promotion Committee for considering confirmation 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman 2. Dean, Employees' State Insurance Corporation Post Graduate Institute of Medical Sciences and research or Medical College or Dental College, Employees' State Insurance Corporation -Member 3. Deputy Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member	Not applicable

A. K. AGARWAL, Director General
[ADVT. III/4/Exty./94/14]